

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा

दिनांक 5.12.2020

प्रकरण क्रमांक 0014/अ-82/2019-20

// लोक सूचना - जारी दिनांक 5.12.2020 //

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के तहत धारा-21 (1) के तहत


प्रस्तावक विभाग :- उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

राज्य शासन को नीचे दी गयी अनुसूची में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन (खण्डवा अकोला के मध्य गेज कन्वर्जन) हेतु आवश्यकता है एवं राज्य शासन का ईरादा उक्त भूमि का कब्जा लिये जाने का है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गयी जमीन पर आपको किस तरह का हक्क है। सार्वजनिक कार्य के लिये हासिल की जाने वाली जमीन का मुआवजा पाने के लिये अपने हक्क के तफसील दे और जमीन के पेमाईश के बारे में अगर आपको कोई आपत्ति हो तो पेश करे। अपनी लिखित आपत्ति स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा के न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 6.1.2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत दिनांक बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// अनुसूची //

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	:	खण्डवा
(ख) तहसील	:	खण्डवा
(ग) ग्राम	:	विश्रामपुर
(घ) अर्जित रकबा	:	6.853 हेक्टेयर


उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला
(अ.अ.अ.) एवं भू-अ.अ. (P.M.)

निरंतर 2

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा
222/2	0.252	172	0.239
222/1	0.336	195	0.119
223	0.219	196/1	0.110
229	0.070	196/2	0.229
231	0.754	206/2	0.002
232/1	0.518	241	1.403
54	0.188	240	0.322
61/1	0.116	239	0.510
61/2	0.095	238	0.175
62/1	0.112	235	0.053
62/2	0.081	234	0.133
62/3	0.092	88/1	0.039
65	0.163	87/1	0.050
66	0.055	87/2	0.100
69	0.140	83/1	0.109
73	0.035	83/2	0.030
79/2	0.004		
कुल खसरा नं० 33		कुल रकबा-6.853 हेक्टे०	

पृ०क०/री-1/2020/3570

खण्डवा, दिनांक- 5.12.2020

प्रतिलिपि :-

- 1- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर भेजकर लेख है कि जिले की वेबसाईड पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
- 2- तहसीलदार तहसील खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक-एक प्रति चरपा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के आठ दिवस में वापस भिजवाने की व्यवस्था करें

- 1- तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड,
- 2- ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड,
- 3- ग्राम विश्रामपुर की चौपाल पर।

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा
वास्ते कलेक्टर जिला खण्डवा